JEEViKA
Rural Development Department, Government of Bihar
Bihar Rural Livelihoods Promotion Society
State Rural Livelihoods Mission, Bihar
बिहार सरकार
Vidyut Bhawan - II, Bailey Road, Patna- 800 021; Ph.:+91-612-250 4980; Fax:+91-612-250 4960, Website:www.brlps.in

पत्रांक-BRLPS/Proj-FI/497/14/Vol-V/3826 दिनांक - 17/12/2019

कार्यालय–आदेश

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के द्वारा राज्य स्तर पर स्वयं सहायता समूहों एवं उनके उच्चतर संगठनों के माध्यम से जीविकोपार्जन संर्वधन हेतु कार्य किये जा रहे हैं। ये कार्य राज्य स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत किये जा रहे हैं। जीविका द्वारा संचालित गतिविधियों का कियान्वयन बिहार ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (BTDP-Bihar Transformative Development Project), नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट (NRETP-National Rural Economic Transforamation Project) एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM-National Rural Livelihoods Mission) के अंतर्गत किये जा रहे हैं। वर्णित परियोजनाओं के अंतर्गत **कमशः 300, 89 एवं 145 प्रखंडों में कार्य किया जा रहा है।** जीविका द्वारा वृहद पैमाने पर स्वयं सहायता समूहों का गठन कर सदस्यों की क्षमतावर्धन हेतु कार्यक्रम चलाये जाते हैं। साथ ही सामुदायिक संगठन के स्तर पर जीविकोपार्जन संबंधित संसाधनों को बढ़ाने हेतु सामुदायिक निवेश निधि (CIF-Community Investment Fund) के निवेश की परिकल्पना की गयी है ताकि सदस्यों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति सुदृढ़ की जा सके। आजीविका संवर्धन की गतिविधियों को बढ़ाने हेतु सामुदायिक संगठनों को प्रशिक्षित कर बैंकों के माध्यम से भी निवेश लाने हेतु प्रेरित किया जाता है ताकि सामुदायिक संगठनों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में अग्रसर किया जा सके।

जीविका परियोजना के द्वारा **सामुदायिक निवेश निधि** का उपयोग सामुदायिक संगठन के स्तर पर **निर्णय क्षमता बढ़ाने** एवं **उपलब्ध संसाधनों** के सर्वोत्तम उपयोग को बढ़ावा देने हेतु किया जाता है। इस निधि के संचालन से सामुदायिक स्तर पर आत्म विश्वास की बढ़ोत्तरी होती है क्योंकि संसाधनों पर निर्णय का अधिकार उनका होता है। पिछले कुछ वर्षों में इस निधि का उपयोग कर गरीब परिवार के सदस्यों ने महाजनों का अत्यधिक ब्याज दर पर लिया गया ऋण चुकाया, अपनी गिरवी रखी जमीन वापस ली, जीविका के संसाधनों को बढ़ाया, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को सुलझाया, खाद्य सुरक्षा बढ़ाया तथा परिवार की खुशहाली के लिए अन्य कई कार्य किये।

विगत कुछ वर्षों के अनुभव, वर्णित परियोजनाओं के मापदंड एवं सामुदायिक संगठनों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:

(क) ऐसे सभी ग्राम संगठनों को 1,20,000/– रूपये (एक लाख बीस हजार रूपये) की **अतिरिक्त आरंभिक पूंजीकरण निधि** (ICF-Initial Capitalization Fund) की राशि उपलब्ध करायी जानी है जिन्हें **01 जनवरी 2017 से 30 नवम्बर 2019** के बीच आरंभिक पूंजीकरण निधि (ICF-Initial Capitalization Fund) की प्रथम किश्त की राशि जीविका परियोजना द्वारा उपलब्ध करवायी गयी है। **वर्णित राशि ग्राम संगठन को सीधे उनके बचत खाते में हस्तानांतरित करके उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।** ये वही खाते होंगें जिनमें पूर्व में भी राशि उपलब्ध करवायी गयी थी।

(ख) संबंधित प्रखंड परियोजना प्रबंधक एवं जिला परियोजना प्रबंधक के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सिर्फ वैसे ग्राम संगठन को ही **1,20,000/– रूपये (एक लाख बीस हजार रूपये) की प्रस्तावित अतिरिक्त राशि** उपलब्ध करवायी जाएगी जो इसकी अर्हता रखते हैं (अर्थात् जिन ग्राम संगठनों को जीविका परियोजना द्वारा **01 जनवरी 2017 से 30 नवम्बर 2019** के बीच आरंभिक पूंजीकरण निधि (ICF-Initial Capitalization Fund) उपलब्ध करवायी गयी हो)।

(ग) जीविका परियोजना द्वारा प्रस्तावित मद में (1,20,000/– रूपये की **अतिरिक्त राशि** आरंभिक पूंजीकरण निधि के रूप में) होने वाले **व्यय की समस्त राशि का समायोजन सभी जिलों के सभी प्रखंडों में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM-National Rural Livelihoods Mission) के तहत उपलब्ध राशि से किया जाएगा।**

(घ) यह भी निदेशित है कि **NRETP** (National Rural Economic Transforamation Project) के अंतर्गत क्रियान्वयित प्रखंडों में वर्त्तमान समय तथा आने वाले समय में **परिक्रमी निधि** (RF-Revolving Fund) एवं **आरंभिक पूंजीकरण निधि** (ICF-Initial Capitalization Fund) के **समस्त राशि का समायोजन NRLM** (National Rural Livelihoods Mission) के अंतर्गत **उपलब्ध राशि** में करना सुनिश्चित करेंगे।

(ड.) **कार्यालय आदेश संख्या BRLPS/Proj/497/14/2274 दिनांक 22 अगस्त 2017 के अंतर्गत निदेशित सभी प्रावधान मान्य हैं। वर्णित मापदंडों में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया है।**

(च) सभी प्रखंड परियोजना प्रबंधकों को निदेशित है कि कार्यालय आदेश के अंतर्गत वैसे सभी ग्राम संगठनों की सूची को LCM रजिस्टर (Loan Committee Meeting Register) में सूचीबद्ध करते हुए जिला परियोजना क्रियान्वयन इकाई को भेजना सुनिश्चित करेंगे। LCM रजिस्टर में ग्राम संगठनों को सूचीबद्ध करना अत्यन्त आवश्यक है।

(छ) सभी जिला परियोजना प्रबंधकों को निदेशित है कि लिये गये निर्णय के अनुसार आरंभिक पूंजीकरण निधि (ICF-Initial Capitalization Fund) की **अतिरिक्त 1,20,000/– रूपये** (एक लाख बीस हजार रूपये) **की राशि** का हस्तानांतरण **संबंधित ग्राम संगठनों में प्राथमिकता देते हुए 7 जनवरी 2020** तक करना सुनिश्चित करें। संबंधित ग्राम संगठनों को इसकी जानकारी उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी समस्त जिला परियोजना समन्वयन इकाई (DPCU) एवं प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई (BPIU) के कर्मियों की होगी। **इस संदर्भ में ग्राम संगठन स्तर पर लेखांकन की प्रकिया को पूरी करने की जिम्मेदारी प्रखंड स्तर पर पदस्थापित सभी कर्मियों की होगी।**

(ज) यह भी निदेशित है कि **01 दिसम्बर 2019 से 31 मार्च 2020** तक वैसे सभी ग्राम संगठनों को **1,20,000 रूपये (एक लाख बीस हजार रूपये) की अतिरिक्त राशि** आरंभिक पूंजीकरण निधि के रूप में उपलब्ध करवायी जाए जो आरंभिक पूंजीकरण निधि के प्रथम किश्त की राशि **(3,60,000 रूपये–तीन लाख साठ हजार रूपये)** को पाने की आर्हता रखते हैं। आरंभिक पूंजीकरण निधि की प्रथम किश्त पाने संबंधित मापदंडों का वर्णन विस्तार पूर्वक कार्यालय **आदेश संख्या BRLPS/Proj/497/14/2274 दिनांक 22 अगस्त 2017 के अंतर्गत किया गया** है। समस्त **1,20,000 रूपये (एक लाख बीस हजार रूपये)** की अतिरिक्त राशि का समायोजन **सभी प्रखंडों में NRLM** के अंतर्गत किया जाएगा।

(झ) **उपर्युक्त वर्णित राशि के हस्तानांतरण की प्रकिया PFMS (Public Financial Managagement System) के माध्यम से सुनिश्चित की जानी है।** इस हेतु संबंधित कर्मियों का प्रशिक्षण राज्य स्तर/जिला स्तर पर सुनिश्चित किया गया है। **PFMS के माध्यम से राशि हस्तानान्तरण की संबंधित प्रकियाओं का निस्तारण यथाशीघ्र सुनिश्चित करने** हेतु प्रखंड परियोजना प्रबंधकों एवं जिला परियोजना प्रबंधकों को निदेशित है। **साथ ही साथ पूर्व में दी गयी सामुदायिक निवेश निधि (Community Investment Fund - CIF) की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र लेना ससमय सुनिश्चित करेंगें।**

(ञ) सभी प्रखंड परियोजना प्रबंधकों एवं जिला परियोजना प्रबंधकों को यह निदेशित है कि वर्तमान परिपेक्ष्य में सामुदायिक संगठनों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक निवेश निधि (Community Investment Fund - CIF) से संबद्ध अवयवों (RF, ICF, HRF, FSF आदि) में निर्धारित मापदंड (कार्यालय आदेश संख्या BRLPS/Proj/497/14/2274 दिनांक 22 अगस्त 2017) के अनुसार पूंजी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। **पूरी प्रक्रिया में गतिशीलता लाने की अत्यंत आवश्यकता है ताकि समुदाय के स्तर पर जीविकोपार्जन के संसाधनों में वृद्धि की जा सके।**

यह निदेश दिया जाता है कि संबंधित जिला परियोजना प्रबंधक एवं प्रखंड परियोजना प्रबंधक अपने कार्य क्षेत्र में इस निर्णय के अनुसार कार्य सुनिश्चित करवायें। **साथ ही इस कार्यालय आदेश की प्रति समस्त परियोजनाकर्मियों को प्रखंड स्तर पर उपलब्ध करवायी जाए। इसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से प्रखंड एवं जिला परियोजना प्रबंधक पर होगी।**

17/12/19

(बालामुरूगन डी0)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जीविका

प्रतिलिपिः

1. समस्त परियोजनाकर्मी